



"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
 एक मिनीरतना कंपनी-A MINIRATNA COMPANY
 CIN: U10102CT1985GOI003161
 (A Subsidiary of Coal India Limited)
 Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG) 495006
 Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
 At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
 Chhattisgarh PIN -496665
 Phone - 07766-277625
 Fax -07766-277629
 Email- samchhalrgh@gmail.com

Ref. No. : SECL/RGH/SAM/CSA/2021/5149

Date 23.10.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
 धरमजयगढ़ वन मण्डल।

Sub:- Proposal for non-forestry use of 240.867 ha (185.017 ha Revenue Forest Land + 55.850 ha Deemed Forest) forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh.

Ref. : (i) File No. 8-15/2021-FC, New Delhi: 110003, Dated- 11th June 2021.

(ii) क्र./मा.चि./3069 धरमजयगढ़ दिनांक 15.07.2021

(iii) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) पत्र क्रमांक/तक./4176 दिनांक 08.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा वन मंजूरी प्रकरण के संबंध में तीन बिन्दुओं के संदर्भ में चाही गई जानकारी उपयोगकर्ता एजेंसी से संबंधित निम्नानुसार है :-

Sl.No.	Query	Reply
i	Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 22.08.2002 granted over an area of 124.54 ha for UG mining by the Ministry has not been mentioned in the proposal. Status of the same may be intimated by the State.	पूर्व में धरम भूमिगत खदान के लिए दिनांक 22.08.2002 को प्राप्त 124.54 हे. वनभूमि के भूमिगत खनन हेतु अंतिम स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन संलग्न है। धरम भूमिगत खदान दिनांक 21.10.2018 को बंद कर दी गई। इसमें शेष कोयले का खनन opencast पद्धति से किया जाना है। जो की इस प्रस्ताव में शामिल है। अतः land use में परिवर्तन है। Annexure 1
ii	A copy of Coal India Policy, 2012 for R&R of the PAPs has been submitted in the online proposal as R&R Plan. Proposal specific R&R Plan has not been submitted. The Mining Plan has been approved in the year 2013, therefore, State Government may reconfirm if the number of PAPs has changed during the intervening period or otherwise.	कोल इण्डिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत प्रभावित परिवार को विस्थापन हेतु चयनित पुनर्वास स्थल में प्रति परिवार को 6 डिसेमिल भू-खण्ड अथवा भू-खण्ड के एवज में प्रति परिवार रु 3 लाख का प्रावधान है। छाल खली खदान से प्रभावित ग्राम लात के विस्थापन के लिये 13.490 हेक्टेयर भूमि गंगाधरपुर लात में एसईसीएल के द्वारा पुनर्वास स्थल के लिये चयनित किया गया था जिसमें 300 वर्ग मी., 450 वर्ग मी. एवं 600 वर्ग मी. के भू-खण्ड विस्थापित परिवारों को आवंटित किया गया है। 300 वर्ग मी. के भू-खण्ड में 45 प्रभावित परिवार, 450 वर्ग मी. में 41 प्रभावित परिवार एवं 600 वर्ग मी. के लिये 08 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किया गया है। ग्राम लात के कुल 329 परिवार को विस्थापित किया गया जिसमें 94 परिवारों के द्वारा भू-खण्ड लिया गया एवं 235 परिवारों द्वारा भू-खण्ड के एवज में मुआवजा लिया गया। पुनर्वास स्थल में 94 परिवार के लिये 3.675 हेक्टेयर भूमि का उपयोग व मूलभूत सुविधा जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी आदि के लिये 2.200 हेक्टेयर भूमि का उपयोग हुआ। इस प्रकार

[Signature]

		13.490 हेक्टेयर भूमि में से 5.875 हेक्टेयर भूमि उपयोग होने के बाद 7.615 हेक्टेयर भूमि शेषबचत है। शेषबचत भूमि में छाल खुली खान Scam-III परियोजना (6MTY) विस्तार परियोजना के प्रभावित व्यक्ति को पुनर्वास दिया जावेगा। छाल खुली खान Scam-III परियोजना (6MTY) विस्तार परियोजना से प्रभावित कुल 658 परिवार है। जिसमें प्रत्येक परिवार द्वारा पुनर्वास हेतु भू-खण्ड अथवा भू-खण्ड के एवज में एकमुस्त मुआवजा के लिए विकल्प का चयन दिया जिसमें 57 परिवारों द्वारा भू-खण्ड का चयन किया गया है 601 परिवारों द्वारा भू-खण्ड के एवज में एकमुस्त मुआवजा रु 3 लाख का चयन किया गया है। उक्त सुबुध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। Annexure 2
iii		
a	Area of the lease estimated using KML files uploaded online is 853.19 ha against the total lease area of 1342.86 ha. Therefore, complete KML files of entire lease area needs to be uploaded online.	छाल ओपन कास्ट परियोजना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुल 1342.86 हे भूमि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1206 हे भूमि का अधिग्रहण LA Act., CGLRC एवं CBA(A&D)Act 1957 के तहत किया गया है। जो की परियोजना के लिए प्रस्तावित है। शेष 136 हे भूमि में से 50 हे भूमि आर&आर साइट हेतु एवं 86 हे भूमि परियोजना से संबन्धित सड़क एवं रेल मार्ग के लिए प्रावधानित है जिसका की अधिग्रहण किया जान है। अतः अधिग्रहित 1206 हे की kmlफाइल अपलोड की गई है।
b	An area of approximately 0.91 ha is observed to be broken in the areaproposed under the proposal. The State Government may therefore furnish its comments on the same vis-à-vis violation if any committed by the User Agency.	भारत सरकार के द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी के संबंध में मौके पर जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि 176.710 हेक्टेयर वन भूमि पर कोई भी खनन कार्य नहीं हुआ है इस वन भूमि में वन विभाग के अनापत्ति/मंजूरी के स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। अतः 0.91हेक्टेयर के क्षेत्र में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
C	As per landuse detail, total forest area of 185.155 ha is reported to be involved in the project. Another area of 55.850 ha of deemed forest land is also included in the proposal. The State Government may confirm whether the said area is included in the approved Mining Plan indicating its land use. Further said area is observed to be falling outside the mining lease boundary. Accordingly, it may be clarified by the State whether the forest area fallingoutside lease boundary is part of the lease area or it is in addition to leasearea of the user agency.	55.85 हे. Deemed Forest की भूमि खसरा क्र. 410 का अधिग्रहण राजस्व भूमि के रूप में किया गया है। किन्तु उस भूमि पर वर्ष 2003 में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसके काफी घना होने के कारण से प्राप्त आदेशनुसार प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में शामिल किया गया। यह क्षेत्र अधिग्रहित 1206 हे क्षेत्र के भीतर ही है।

Signature

d	Analysis of forest land identified for CA revealed that calculated area (as per KML files submitted online) is 449.88 ha which is short of 31.854 ha than the actual requirement of 481.734 Ha	वन विभाग से संबंधित है।
e	Vegetation density analysis revealed that out of 455 ha (DSS Calculated) forest land proposed for CA, 5 ha of land is characterized with Very Dense Forest, 36 Ha of land is having Moderately Dense Forest, which may not be fit for CA. The State Government therefore may re-visit their suitability for raising CA.	वन विभाग से संबंधित है।
f	As patches of very small size involving area 1.3 ha have been identified in Dharamjaigarh Forest Division, the State Government may therefore clarify whether such patches are contiguous to forest land or otherwise. As per the provisions of relevant guidelines minimum size of isolated patch identified for CA should be 5 ha.	वन विभाग से संबंधित है।
g	Plantation work has been observed in certain patches of orange forest land in Baster District. The State Government may clarify whether any plantation work has been undertaken in the past/justification for proposing such areas for CA	वन विभाग से संबंधित है।

यह अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

भवदीय,


 उपमहाप्रबंधक(खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
 एसईसीएल छाल उपक्षेत्र
 Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
 Chhal Sub Area, SECT
 Raigarh Area

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एसईसीएल धरम भूमिगत खदान अंतर्गत 124.54 हेक्टे वन का अंतिम चरण स्वीकृति पत्र क्रमांक व.सं./7983, रायपुर दिनांक 19.09.2002 के तहत शर्तों का पालन प्रतिवेदन

स.क्र.	शर्तवाली	परिपालन
1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा	परिपालित।
2.	आवेदक संस्थान के व्यय पर दुगने बिगड़े वन क्षेत्र पर दांडिक वृक्षारोपण किया जावेगा।	हमारे द्वारा 50 हेक्टे. वनों में दांडिक वृक्षारोपण के प्राक्कलन के अनुसार रु. 1475430/- जमा किया गया।
3.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	परिपालित।
4.	कोयले के विभिन्न स्तरों में कार्य करने के कारण होने वाले घसान को कम करने के लिए में इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाए गए उन सभी उपायों एवं तकनीकी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए आवेदक संस्थान बाध्य होगा। आवेदक संस्थान एसईसीएल धरम खदान क्षेत्र द्वारा इन सुरक्षा उपायों को एक निश्चित समयानुसार एक स्वतंत्र संस्था जैसे आई.एस.एम. धनबाद/सी.एम.आर.आई धनबाद द्वारा पर्यवेक्षण करायेगा एवं उसका प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। भूमि सतह की स्थिति में होने वाली हानि का पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा तथा समतुल्य गैर वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि भी आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी। साथ ही साथ उपरोक्त कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा 6 (छः) माह में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	भूमिगत कोयला खनन कार्य Board & Pillar method के तहत केवल Development का खनन कार्य किया जा रहा था तथा De-pillaring नहीं किया गया है जिससे भूमि का सतह अप्रभावित है। खान सुरक्षा महानिदेशपालय के दिशानिर्देशानुसार पिलर छोड़ा गया है तथा छत सपोर्ट किया गया है।
5.	में एसईसीएल जिला रायगढ़ द्वारा 124.54 हेक्टे. वन भूमि के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से स्टोन (पत्थर) फेंसिंग किया जावेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत भूमि में वन विभाग के सहयोग से आवेदक संस्थान के स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग का कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 03 वर्ष में पूर्ण कराए जावेंगे।	वन क्षेत्र 124.54 हेक्टे. वन भूमि के चारों ओर बारबेड वायर फेंसिंग कार्य हेतु राशि रु. 9,40,000/- वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को पत्र क्रमांक एसईसीएल/महा.प्र./राय. /सिविल/03/394, दिनांक 08.11.2003 के तहत जमा किया गया है। एवं फेंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वीकृति पर्यावरणीय (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986) के अन्तर्गत स्वीकृति पर आधारित होगी। यदि वह लागू होती है तो।	स्वीकृति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियमों के तहत कार्यान्वित।
7.	प्रोसेसिंग में उपयोग किए गए जल की निकासी उचित जल उपरान्त किया जाना सुनिश्चित करें।	धरम खदान में 21.10.2018 से कोयले का उत्पादन बंद हो गया है जिस कारण वर्तमान में कोई प्रोसेसिंग कार्य नहीं चल रहा है।
8.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को कोयला निःशुल्क परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि निकटस्थ वनों की क्षति नहीं पहुंचे।	संस्थान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निःशुल्क रसोई गैस प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है।
9.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त इस स्वीकृति की अवधि दिनांक 22.08.2002 से 30 वर्ष रहेगी।	यथावत है।
10.	आवेदक संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जावे की यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अलावा वनों के विकास, सुरक्षा, एवं संरक्षण के संबंध में अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन्हें मान्य होगी।	स्वीकार्य

उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र

खान प्रबंधक
छाल खुली खदान

105
14/11/02
उप

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एसईसीएल धरम भूमिगत खदान अंतर्गत 124.54 हेक्टेयर वन भूमि का अंतिम चरण स्वीकृति पत्र क्रमांक व.सं./7983, रायपुर दिनांक 19.09.2002 के तहत शर्तों का पालन प्रतिवेदन

सं.क्र.	शर्तावली	परिपालन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा	परिपालित।
2	आवेदक संस्थान के ब्यय पर दुगने बिगड़े वन क्षेत्र पर वांडिक वृक्षारोपण किया जावेगा।	हमारे द्वारा 50 हेक्टेयर वनों में दाण्डिक वृक्षारोपण के प्राकफलन के अनुसार रु 14,75,430/- जमा किया गया।
3	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।	परिपालित।
4	कोयले के विभिन्न स्तरों में कार्य करने के कारण होने वाले धसान को कम करने के लिये मे. इडियन स्कूल ऑफ माईन्स द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाये गये उन सभी उपायों एवं तकनीकी प्रतिबंधों का पालन करने के लिये आवेदक संस्थान बाध्य होगा। आवेदक संस्थान एसईसीएल धरम खदान क्षेत्र द्वारा इन सुरक्षा उपायों को एक निश्चित समयानुसार एक स्वतंत्र संस्था जैसे आई.एस.एम. धनबाद/सी.एम.आर.आई धनबाद द्वारा पर्यावेक्षण करायेगा एवं उसका प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। भूमि सतह की स्थिति में होने वाली हानि का पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा तथा समतुल्य गैर वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि भी आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी। साथ ही साथ उपरोक्त कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा 6(छः) माह में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	भूमिगत कोयला खनन कार्य Board & Pillar method के तहत केवल Development का खनन कार्य किया जा रहा है तथा De-pillaring नहीं किया जाना है जिससे भूमि का सतह अप्रभावित है। खान सुरक्षा महानिर्देशालय के दिशानिर्देशानुसार पिलर छोड़ा जाता है तथा छत सपोर्ट किया जाता है।
5	मे. एसईसीएल जिला रायगढ़ द्वारा 124.54 हेक्टेयर वन भूमि के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से स्टोन (पत्थर) फेंसिंग किया जावेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत भूमि में वन विभाग के सहयोग से आवेदक संस्थान के स्वयं के ब्यय पर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग का कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 03 वर्ष में पूर्ण कराये जावेगें।	वन क्षेत्र 124.54 हेक्टेयर वन भूमि के चारों ओर बारबेड़ वायर फेंसिंग कार्य हेतु रु. 9,40,000/- वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को पत्र क्रमांक एसईसीएल/महा.प्र./राय. /सिविल/03/394. दिनांक 08.11.2003 के तहत जमा किया गया है एवं कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वीकृति पर्यावरणीय(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986) के अन्तर्गत स्वीकृति पर अधारित होगी। यदि वह लागु होती है तो।	स्वीकृत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियमों के तहत कार्यान्वित।
7	प्रोसेसिंग में उपयोग किए गए जल की निकासी उचित जल उपरान्त किया जाना सुनिश्चित करें।	खान से निष्कासित जल को मानकानुरूप उपचार करने के उपरांत कृषि कार्य हेतु किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।
8	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में कार्यरतकर्मचारिया/ श्रमिकों को कोयला निःशुल्क परियोजना स्थल पर उपलब्ध कारीया जावेगा,ताकि निकटस्थ वनों की क्षति नहीं पहुचे।	संस्थान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निःशुल्क रसोई गैस प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है।
9	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त इस स्वीकृति की अवधि दिनांक 22.08.2002 से 30 वर्ष रहेगी।	
10	आवेदक संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जावे की यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अलावा वनों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण के सम्बंध में अन्य कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो, उन्हें मान्य होगी।	स्वीकार्य।

श. क. शर्मा
उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र

F No R-14/97 FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Parvathan Bhawan,
CCO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated 22.08.2002

To

The Secretary (Forests)
Government of Chattisgarh
Raipur.

Sub: Diversion of 124.54 ha. of forest land for Dharam underground mine in favour of
M/s SECL, Distt. Raigarh

I am directed to refer to Madhya Pradesh Government letter No. F-5/2/97/10/3 dated 11.10.99 and CCF (LM), Chhattisgarh letter No. LM/11/Khanij/1-112 dated 09.08.2002 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 124.54 ha. of forest land for Dharam underground mine in favour of M/s SECL, Distt. Raigarh, Chhattisgarh, subject to following conditions:

- a. Legal status of forest land shall remain unchanged
- b. Penal compensatory afforestation shall be raised on double the degraded forest land at the cost of user agency
- c. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- d. The user agency will abide by the various mitigatory measures including specific technical prescriptions for mining of various seams as suggested by M/s Indian School of Mines in their report so as to minimize the subsidence. The user agency will get these safeguards periodically monitored through independent agency like ISM, Dhanbad/CMRI, Dhanbad and submit the report to the Ministry and its concerned Regional Office.

However, in the event of subsidence beyond permissible limits, the user agency will pay for the damage and provide equivalent non-forest land alongwith funds for compensatory afforestation for the same to the State Forest Department within six months of its occurrence.

File
2


Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

③

- The user agency will protect the 124.54 hectare forest area by erecting a stonewall fencing on the surface and carry out sap planting wherever required in consultation with the Forest Department. All works will be carried out by the user agency themselves at their own cost within a reasonable period of time say 3 years.
- c. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environmental Protection Act, 1986, if applicable.
 - g. The water used for processing shall be discharged only after proper treatment (as specified in ISI code including BOD, COD and pH).
 - h. The user agency will make arrangement for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.
 - i. The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 10 years.
 - j. Any other condition that the State Govt. or the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal may impose from time to time in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

(R K GUPTA)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Chhattisgarh, Raipur
2. Nodal Officer, Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Chhattisgarh, Raipur.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhopal.
4. RO(HQ), New Delhi.
- ✓ 5. Guard file
- ✓ 6. General Manager, P.O. SECL, Seepat Road, Bilaspur, Madhya Pradesh-495001

(R K GUPTA)
Asst. Inspector General of Forests

Dhanbad/CMRI, Dhanbad and subject to the
Regional Office

However, in the event of any fire or other cause of
the damage and for the equipment used in
afforestation for the same to the extent of
occurrence.

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

उत्तीतगढ़ शासन वन एवं संस्कृति विभाग,
मंत्रालय रायपुर.

रायपुर, दिनांक 19/09/2002

क्रमांक/ज.सं/7983

प्रति,

✓ मुख्य वन संरक्षक (मू-सर्वे),
उत्तीतगढ़ रायपुर.

विषय :- रायगढ़ जिले में एस.ई.सी.एल. की धरम खदान भूमिगत रकबा 124.54 हे० वनभूमि उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र०/मू-सर्वे/खनिज/1495 दि० 30.8.2002

न०=

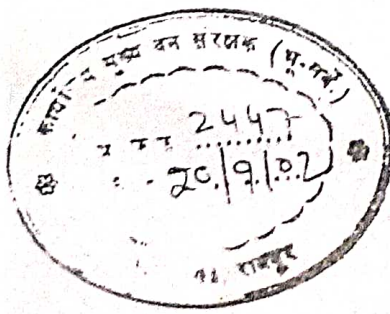
विश्यान्वित प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली ने उनके पत्र क्रमांक/8-84/97 एफ.सी. दिनांक 22/8/2002 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की है । भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के बाधों पर रायगढ़ जिला के अंतर्गत धरम भूमिगत खदान में कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत 124.54 हे० वनभूमि जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है, से कोयला उत्खनन हेतु में एस.ई.सी.एल. जिला रायगढ़ को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर छ. उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- 1- वनभूमि का वैधानिक स्वत्व अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2- वावेदक संस्थान के व्यय पर दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र पर दांडिक वृक्षारोपण किया जावेगा ।
- 3- वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा ।
- 4- कोयले के विभिन्न स्तरों में कार्य करने के कारण, होने वाले ध्वंस को कम करने के लिये में 0 ईडियन स्कूल बाफ माईन्स द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाये गये उन सभी उपायों एवं तकनीकी प्रतिक्रियों का पालन करने के लिये वावेदक संस्थान बाध्य होगा । वावेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. धरम खदान क्षेत्र द्वारा इन सुरक्षा उपायों को एक निश्चित समयानुसार एक स्वतंत्र संस्था जैसे आई.एस.एम. धनबाद/सी.एम.आर.आई धनबाद द्वारा पर्यवेक्षण कराएगा एवं उसका प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

...2...

Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

5



भूमि सतह को नियति में होने वाली हानि का पूर्ति हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुक्तान संबंधित आवेदन संस्थान द्वारा किया जाएगा। समस्त वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि की आवेदन संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही साथ उपरोक्त कार्यवाही आवेदन संस्थान द्वारा 6 महीने में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

- 5- मे0 एस.ई.सी.एल. जिला रायगढ़ द्वारा 124.54 हे0 वनभूमि के वारों और सुरक्षा की दृष्टि से स्टोनपटथर फैसिंग किया जाएगा तथा आवश्यक प्रकृति पर स्वीकृत भूमि में वन विभाग के सहयोग से आवेदन संस्थान के स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण एवं फैसिंग का कार्य भारत सरकार पर्या0 एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 3 वर्ष में पूर्ण करने जाएगी।
- 6- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त यह स्वीकृति पर्यावरणीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्वीकृति पर आधारित होगी। यदि वह लागू होती है तो।
- 7- प्रोसेसिंग में उपयोग किये गये जल की निष्कासी उचित जल उपगंत किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- आवेदन संस्थान द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को कोयला निःशुल्क परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि निमग्न कर्मियों को क्षति नहीं पहुंचे।
- 9- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त इस स्वीकृति की अवधि दिनांक 22/08/2002 से 30 वर्ष रहेगी।
- 10- आवेदन संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अलावा वनों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में अन्य कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो, उन्हें मान्य होगी।

24/07/19/09/02
उप सचिव
उत्तीसगढ़ शासन रायपुर.

...3...
Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raiqarh Area

6

५०५०/

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली ।
 - 2- मुख्य वन सँरक्षक {५००} कार्या० ई-३/२४० अरेरा कालोनी गोपाल {५०५००}
 - 3- सचिव, छ०ग० शासन छनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय रायपुर छ०ग० ।
 - 4- वन सँरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ०ग० ।
 - 5- जिला-ध्यक्ष छनिज शाखा रायगढ़ छ०ग० ।
 - 6- व०म०स०, धरमज्यगढ़ वनमण्डल मुख्यालय रायगढ़ ।
 - 7- महाप्रबन्धक एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र रायगढ़ छ०ग० ।
- की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर.

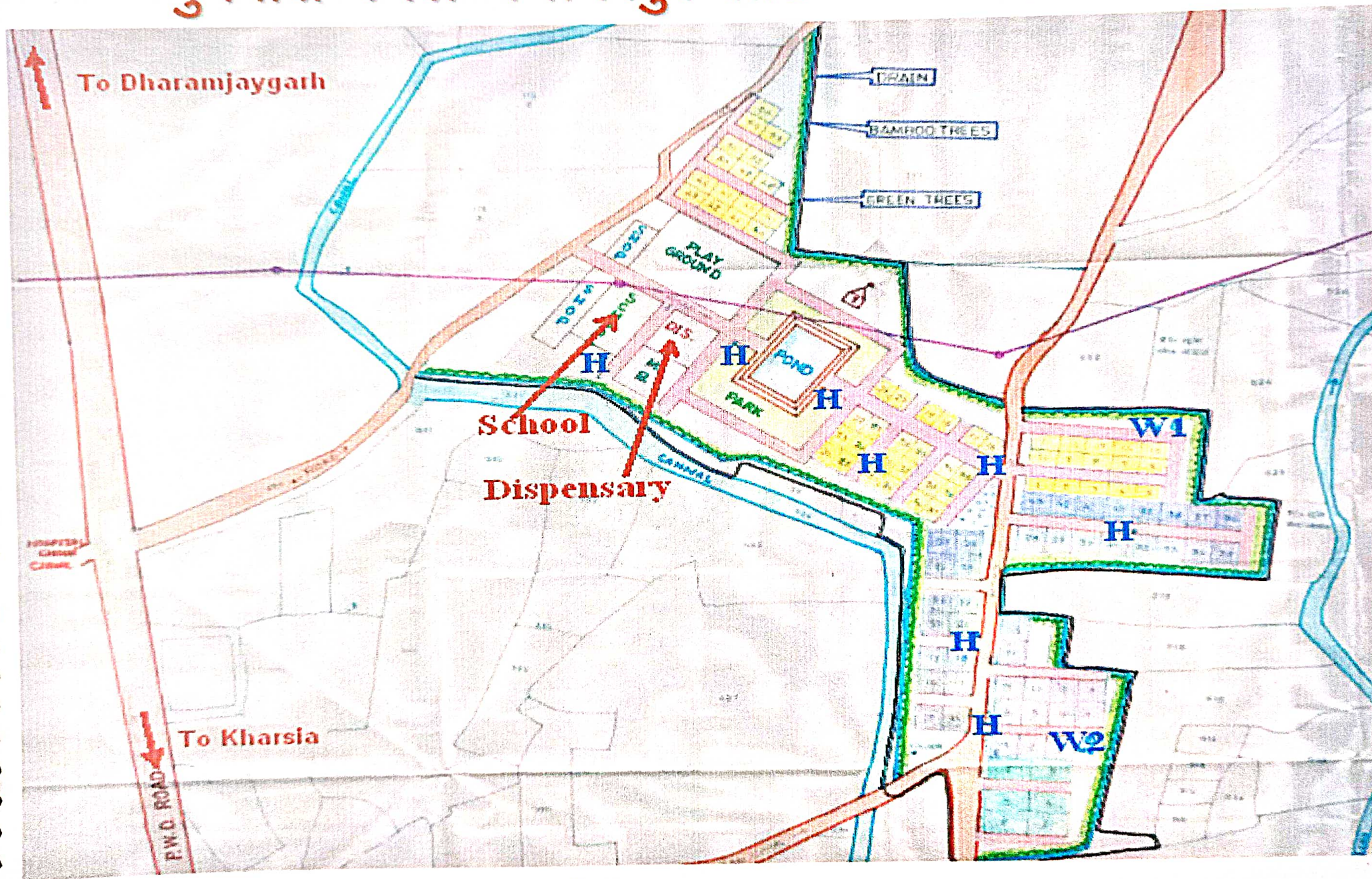
-०-

//रजब//


Dy. G.M. (M) / Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

(7)

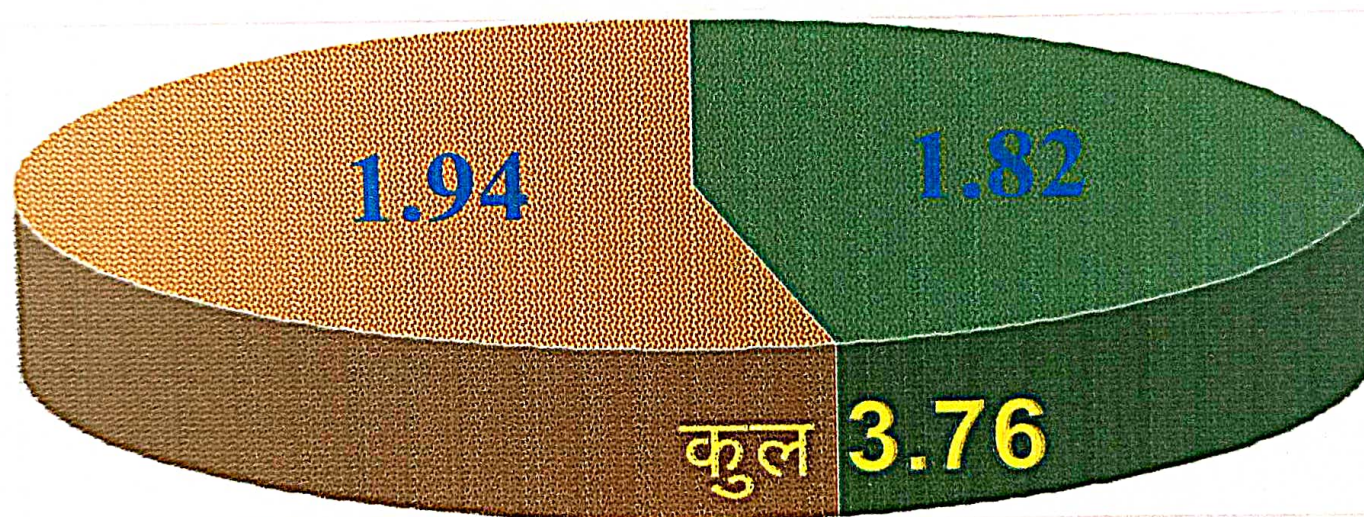
पुनर्वास स्थल गंगाधरपुर लात का बसाहट नक्शा



पुनर्वास स्थल 13.490 हेक्टेयर का विवरण

S.NO.	ACTIVITY	APPX. AREA (M ² /H)	REMARKS
01	DISPENSARY	40×40=1600M ²	—
02	COMMUNITY HALL	40×40=1600M ²	—
03	SCHOOL	40×60=2400M ²	—
04	PLAY GROUND	80×75=6000M ²	—
05	LAND ALLO. FOR PRIVATE SHOP	100×20=2000M ²	25 NOS.
06	GARDEN	70×50=3500M ²	—
07	POND	80×60=4800M ²	—
08	WELL	200M ² (2NOS)	⊙ W1
09	HAND PUMP	100M ² (8 NOS)	● H1
10	LIGHTING TOWER	100M ² (10 NOS)	● T
11	COLONY ROAD & KACHA DRAIN	2KM/10,000M ²	 
12	TRANSFORMER	20M ² (1NOS)	⊕
13	FOREST BOUNDARY	—	
14	APPLIED DEMARCATED LAND	13.490 Hc	
15	FORESTRATION DRAIN AT BOUNDARY ETC.	35000 M ²	

पुनर्बसाहट हेतु कुल भूमि (हेक्टेयर में)



■ अन्य वर्ग ■ अनु.ज.जाति

**DETAILS OF AMENTIES AND INFRASTRUCTURAL FACILITIES
PROVIDED at LAT (GANGADHARPUR)
REHABILITATION SITE.**

TOTAL LAND ACQUIRED FOR REHABILITATION SITE – 13.490 HA.

<u>Works at Rehabilitation site.</u>		<u>Expenditure in Rs.</u>
◆ Road	– 2 Km.	18 Lakhs
◆ Power supply	– 8 Km.	21 Lakhs
◆ School Building (Building 15m x 8m)	– 40 × 40 sqr mtrs.	6.54 Lakhs
◆ Health Center (Building 15m x 10m)	– 40 × 30sqr mtrs.	3.15 Lakhs
◆ Hand pumps for water supply	– 6 Nos.	4.64 Lakhs
◆ Community hall (Building 16m x 10m)	– 40 × 40 sqr mtrs.	3.92 Lakhs
◆ Wells	– 2 Nos. – 10 mtrs deep.	1.78 Lakhs
◆ Pond	– 2 nos. 80 × 60 sqr. Mtrs.	4.62 Lakhs
◆ Play ground	– 100 × 60 sqr. Mtrs.	0.50 Lakhs
◆ Extra land for shops	– 100 × 20 sqr. Mtrs.	----
◆ Boundary trenching, drainage and tree plantation.		1.58 Lakhs



300 चरगीटर की भूमि (खेत) आवंटित

① ①

नाम पिता/पति का नाम	खेत नं.	
1. विनोद च. कार्तिक राम	01 ✓	
2. चैतराम च पुनड	02 ✓	
3. ब्रह्मदास च लिबकंधु	03 ✓	
4. ब्राह्मधन च रामचरण	04 ✓	
5. विरजु प्रसाद च ओभाराम	05 ✓	
6. बिल्ली दास च निरविशम	06 ✓	
7. संतोष च सरवप्राम	07 ✓	
8. भागीराथी च कृशराम	08 ✓	
9. अमीदास च निरविशम	09 ✓	
10. दासीराम च गोपीराम	10 ✓	
11. मनीष सिंह च मुन्दा सिंह	11 ✓	
12. राजकुमार च धनकशाम सिंह	12 ✓	
13. जगदीश च मुन्दा सिंह	13 ✓	
14. हरिदास च देवत सिंह	14 ✓	
15. नेहरूराम च चमरा राम	15 ✓	ST
16. रामधन च जग साय	16 ✓	ST
17. धनबाई पति धु. सिंह नन्ददास च तेजराज	17 ✓	ST
18. रवेन्द्र सिंह च पुरन सिंह	18 ✓	ST
19. गनपत च ब्रह्मदास	19 ✓	
20. डाक्टर च तेजराज	20 ✓	ST
21. गुडाव सिंह च दुकराम	21 ✓	ST
22. वेदराम च गान सिंह	22 ✓	ST

300 वर्गमीटर की भूमि (जट) आवंटित

पेज

स.क्र.	नाम पिता/पति का नाम	जट नं.	
23	जोगी राम व पताप	23 ✓	ST
24	बिंदर बाबू व राम बाबू	24 ✓	ST
25	कर्णेश सिंह व नटवर सिंह	25 ✓	
26	बाबू नाम व हेमराज	26 ✓	ST
27	गंगेशकर व चेतन	27 ✓	ST
28	मिहिराज व ददुराज	28 ✓	ST
29	मनबहाब व बादुराज	29 ✓	ST
30	हेमन्त कुमार व रानीराज	30 ✓	ST
31	नाम सिंह व बुद्धराज	31 ✓	ST
32	कमल सिंह व बहालराज	32 ✓	ST
33	आश्रीत व नरेश सिंह	33 ✓	ST
34	महेन्द्र व मदन सिंह	34 ✓	ST
35	दिनेशकर व महेतर	35 ✓	ST
36	गुलाब व खल्लुराज	36 ✓	ST
37	तीजराज व समराज	37 ✓	ST
38	चबिकु राज व बेदराज साबिकु राज व बेदराज	38 ✓	
39	लक्ष्मी प्रसाद व तेजराज	39 ✓	
40	श्यामा बाई व तेजराज	40 ✓	
41	अमल मनसु राज व जोतराज	41 ✓	
42	कार्तिकेश्वर व तहसीब	42 ✓	
43	विमलाबाई पति नारायण विमलाबाई व नारायण	43 ✓	
92	मनसु राज व मंगलदास	44 ✓	
93	मनसु राज व मंगलदास	45 ✓	

वर्गमीटर की भूमि (छाट) आवंटित (५)

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	छाट नं.	
44	विदेही काच - व देवी काच	01 ✓	
45	रतन काच - व माणीरथी	02 ✓	
46	मल्हुराम - व धनीराम	03 ✓	
47	छोटे काच - व ^{माणीरथी} मोहनराम	04 ✓	
48	मगवतिया - व रामबक्स	05 ✓	
49	टेकराम - व रामबक्स	06 ✓	
50	श्याम चंद पिता विद्याराम नेतराम - व विद्याराम	07 ✓	
51	लखन - व हस्ताराम	08 ✓	
52	माखन - व हस्ताराम	09 ✓	
53	रुखी राम - व मुनुराम	10 ✓	
54	नटवर सिंह - व धनसिंह	11 ✓	
55	कृष्ण सिंह - व धनसिंह	12 ✓	
56	सपुतन सिंह - व धनसिंह	13 ✓	
57	धनराम सिंह - व धनसिंह	14 ✓	
58	टंकेवर सिंह - व हरिसिंह	15 ✓	
59	नट्टु सिंह - व हरि सिंह	16 ✓	
60	ओपन सिंह - व हरि सिंह	17 ✓	
61	मुनु सिंह - व गण्ड काच	18 ✓	
62	जोत राम - व बेगा राम समाहु - व बेगा राम	19 ✓	
63	भुरीत नाम - व परबुराम	20 ✓	
64	सुनील चंद - व देवसिंह	21 ✓	
65	सनत राम - व पाका राम	22 ✓	57
66	लजि राम - व बोधी राम	23 ✓	57
67	फिरन साय - व मन्मोहन	24 ✓	

450 वर्गमीटर की भूमि (एकर) आवंटित (2)

नाम पिता / पति का नाम	खारनं.		
68 बिन्हासो बर्ड व कृष्ण राम	25 ✓	ST	34. बोधिराम व. रानी राम बी. पटवर्धनी, भिवर
69 मोहन सिंह व बबूदेव	26 ✓	ST	
70 जोधन सिंह व धारसीराम	27 ✓	ST	
71 कसंत राम व प्रेम सिंह	28 ✓	ST	
72 सनमेत व जीवननाथ			
जोहित राम व विमल नाथ	29 ✓	ST	
73 मोहन सिंह व राम दयाल	30 ✓	ST	
74 सोवना बर्ड पति गजराज सिंह			
गंगा राम व गजराज सिंह	31 ✓	ST	
75 दिवीप व इन्द्रजीन			
सुखदा बर्ड व दिवीप सिंह	32 ✓	ST	
76 मनसिराम व अंजली राम	33 ✓	ST	
77 गजबल्ल व जनपत	34 ✓	ST	
78 नगदेव व तेजसिंह	35 ✓	ST	
79 चम्बर सिंह व चम्बर सिंह			
कुटेडी बर्ड पति चम्बर सिंह	36 ✓	ST	
80 दादु राम व जगत राम			
दुरपानी व दादु राम	37 ✓	ST	
81 भवत ठाकुर व जनपत	38 ✓	ST	
82 अमर सिंह व चम्बर सिंह	39 ✓	ST	
83 सिया राम व पुष्पा	40 ✓	ST	
84 धाडी राम व धोबी राम	41 ✓	ST	
85 बोधिराम व. रानी राम			

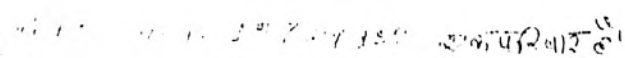
600 वर्गमीटर की भूमि (एकर) आवंटित

85 जगमोहन व सोवनाथ	01 ✓		
86 गजेराम व गंभीर राय	02 ✓	ST	
87 गंगेश राम व धर्म सिंह	03 ✓	ST	
88 पेशराम व दादुर राम	04 ✓	ST	
89 बल्लू सिंह व पुरन सिंह	05 ✓	ST	
90 बाबेराम व पुरन सिंह	06 ✓	ST	
91 भानुप्रताप व देव राम	07 ✓	ST	

प्रस्तावित धाल खुली खदान से प्रभावित परिवारों
को भूमि के बदले 50,000/- का नगद मुआवजा
मुभलाने।

मि. 

मुभलान किया
PAID

मि.  15.7.2020
कारण परिवार संख्या में लगी
35-J : 234

स्थापित जाल खुसी कोयला खदान से प्रभावित होने वाले परिवारों की सूची
 श्री बरसाहट हेतु जमीन के एनज में रु 500000 / मुआवजा मुमकिन प्राप्त कर रहे हैं।

(199)

क्र.सं.	पञ्चायत का सूची क्र.	एस. ए. सी. ए. नं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	लिंग	आ.	नक कमांक / दिनांक	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	चमराराम	मथाराम	कवर	पु	70	065865 09-3-06	X 0
2	6	6.39	उर्मिलाबाई अनेतकुमार	नरसिंह नरसिंह	कवर	म.	40 23	065866 09-3-06	
3	9	9	मोहनसिंह	चेतनासिंह	क.	X	40	065867 09-3-06	मि. 8
4	10	10	रेशमलाल	पाराराम	कवर	X	5	065868 09-3-06	मि. 7
5	11	11	पंचुराम	उदय मुजावत किया	कवर	X	5	065869 09-3-06	पंचुराम
6	13	13	अमानसिंह	अनन्दशम	क.	X	5	065870 09-3-06	अमानसिंह
7	14	14	समस्तबाई जयनसिंह	पाराराम पाराराम	क.	म.	40 23	065871 09-3-06	26
8	16	16	चरणसिंह	अनन्दशम	क.	X	5	065872 09-3-06	
9	18	18	लालाराम	दयास	कवर	X	5	065873 09-3-06	मि. 8
10	19	19	बुधोबाई मि. 8	तुलीराम तुलीराम	कवर	X	5	065874 09-3-06	मि. 8
11	21	21	प्रभाकर	हरीशंकर	कवर	X	5	065875 09-3-06	मि. 8

1.1.3/4/7/5/6
 1.1.3/4/7/5/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	पुनाइया सुरोती लाल	दुखीराम दुखीराम	कवर	पु	50	0658716	09-3-06		
23	गौरीशकर	गौरीशराम	कवर	पु	20	0658717	09-3-06		गौरीशकर
24/1	तेजराम	नेगीराम	कवर	पु	53	0658718	09-3-06		
25	नावमोती	जठणम	कवर			0658719	09-3-06		
27	परमानन्द	सगाराम	कवर			0658720	09-3-06		परमानन्द
28	त्रिभुवन	सुन्दरसाय	कवर			0658721	09-3-06		
29	सतराम	सुकदेव	कवर	पु	55	0658722	09-3-06		
30	फुलासिंह	भुगदेव	कवर	पु	36	0658723	09-3-06		
31	रतनसिंह भुगलाल	सुखदेव	कवर	पु	32	0658724	09-3-06		
32	सजय	लालसिंह	कवर			0658725	09-3-06		
33	अनन्तराज	सुखदेव	कवर			0658726	09-3-06		
34/1	भारतलाल	अतराम	कवर			0658727	09-3-06		
35	महेन्द्रकुमार	फुलसिंह	कवर			0658728	09-3-06		
36	दामोदर	सुखदेव	कवर	पु	45	0658729	09-3-06		
38/1	धनराम	हरिसिंह	कवर			0658730	09-3-06		
38/2	हरिहर सिंह	हरिसिंह	कवर			0658731	09-3-06		
38/3	हेमसिंह	हरिसिंह	कवर			0658732	09-3-06		

क्र.	सं.	नाम	पिता	वर्ग	पु.	म.	सं.	दिनांक	टिप्पणी
40	42/1	संतोष	गंगाबाई	कवर	पु.	50	065895	09-3-06	राजाराज
43	43	पतिराम	हृदयराम	कवर	पु.	47	065896	09-3-06	पतिराम
44	44	गंगाबाई राजाराम	सिंदारसिंह सिंदारसिंह	कवर	पु.	50 21	065897	09-3-06	राजाराम
45	45	सियाराम भानसिंह	हृदयराम सिंदाराम	कवर	पु.	50	065898	09-3-06	भानसिंह
48	48	शोभितराम	ठाकुरराम	कवर	पु.	50	065899	09-3-06	शोभितराम
50	50	बरातोबाई	जगसिंह	कवर	पु.	50	065900	09-3-06	बरातोबाई
51	51	विजयराम	विपतराम	कवर	पु.	38	065901	09-3-06	विजयराम
52	52	जयराम भुजलाल PAID	विपतराम	कवर	पु.	60	065902	09-3-06	जयराम
58	58	हीरालाल	घासराज	कवर	पु.	20	065903	09-3-06	हीरालाल
64	64	नमारसराज	गंगाबाई	कवर	पु.	31	065904	09-3-06	नमारसराज
67	67	रामाबाई	फूलगुंड	कवर	पु.	33	065905	09-3-06	रामाबाई
84	84	दुलेश्वर साधमोती	महेशराम महेशराम	कवर	पु.	30	065906	09-3-06	दुलेश्वर
87	87	गणेशराज	विपतराम	कवर	पु.	30	065907	09-3-06	गणेशराज
70	70/1	नानासिंह	वस्ताराम	कवर	पु.	30	065908	09-3-06	नानासिंह
71	71	वस्ताराम	जयलाल	कवर	पु.	30	065909	09-3-06	वस्ताराम
72	72	लामोराम	लामोराम	कवर	पु.	30	065910	09-3-06	लामोराम

153/16 143P
RECEIVED ARE:

73	प्रताप	हरिसिंह	कवर	पु	40	069110		
74/1	जराभन	हरिसिंह	कवर	पु	37	069112		
74	74/2	हीरासिंह	रायडोकरा	कवर	पु	65	069113 09-3-06	हीरासिंह
75	75/1	बहारसिंह	जोतराम	कवर	पु	22	069114 09-3-06	बहारसिंह
76	76/2	जोतराम	हीरासिंह	कवर	पु	40	069115 09-3-06	
76	76/3	लक्ष्मणसिंह	रायडोकरा	कवर	पु	42	069116 09-3-06	
77	77	मोहनसिंह	सदाराम	कवर	पु	22	069117 09-3-06	मोहनसिंह
78	78/1	रामसिंह	हिमालय	कवर	पु	5	069118 09-3-06	रामसिंह
78	78/2	रामसिंह	जयलाल	कवर	पु	175	069119 09-3-06	रामसिंह
PAID								
79	79/1	नरेश	गणेशराम	कवर	पु	18	069120 09-3-06	
79	79/2	भवानीलाल	गणेशराम	कवर	पु	22	069121 09-3-06	भवानीलाल
85	85	पालूराम	जयपाल	कवर	पु	39	069122 09-3-06	पालूराम
86	86	रवगश्वरप्रसाद	पालूराम	कवर	पु	19	069123 09-3-06	रवगश्वरप्रसाद
87	87/1	रवगश्वरप्रसाद	गणेशराम	कवर	पु	39	069124 09-3-06	रवगश्वरप्रसाद
88	88/1	मोहनसिंह	जयलाल	कवर	पु	40	069125 09-3-06	मोहनसिंह
88	88/1	वशु कुमार	शौकीनलाल	कवर	पु	40	069126 09-3-06	वशु कुमार
89	89/3	दशरथ	गणेशराम	कवर	पु	40	069127 09-3-06	दशरथ

89	5	4	समारी	बलीधर	तेली	म	45	069128 09-3-06
91			पुराइनबाई	छेदीलाल	तेली	म	49	069129 09-3-06
92	92		परदेशी	छेदीलाल	तेली	पु	41	069130 09-3-06
94, 95, 96			भागोरथी वरुणसिंह	बालकराम भागोरथी	तेली	पु	74 54	069131 09-3-06
94, 95, 96			इश्वरीलाल	वरुणसिंह	तेली	पु	28	069132 09-3-06
94, 95, 96			भवानीलाल	वरुणसिंह	तेली	पु	32	069133 09-3-06
98, 99			कार्तिकराम	भागोरथी	तेली	पु	45	069134 09-3-06
102	102	102/2	जात्रा बाई	मनीराम	तेली	म	55	069135 09-3-06
105	105		सुरीला श्रधरा	रामचरण रामचरण	तेली	म	46 13	069136 09-3-06
105	105	105/2	सुरीला मुजवाज विना	भागोरथी मुजवाज विना	तेली	म	43	069137 09-3-06
105	105	105/2	सोनसा	सोनसा	तेली	पु	18	069138 09-3-06
107	107	107	मालिकराम	भगवतिया	तेली	पु	41	069139 09-3-06
108	108	108	बालाराम	रामचरण	तेली	पु	54	069140 09-3-06
109	109	109	रामचरण	रामचरण	तेली	पु	18	069141 09-3-06
110	110	110/1	शिखरलाल	रामचरण	तेली	पु	20	069142 09-3-06
110	110	110/2	नवरतन	रामचरण	तेली	पु	17	069143 09-3-06
111	111	111	प्राणमति	रामचरण	तेली	पु	17	069144 09-3-06

112	दिलचम्पु	आनंद राम	तेली	पु	40	069146 09-3-06	
113	सुन्दर लाल	दिलचम्पु	तेली	पु	40	069146 09-3-06	
114	बाबुलाल	दिलचम्पु	तेली	पु	38	069147 09-3-06	
118	118/1	होरालाल	काशीराम	तेली	पु	28	069148 09-3-06
118	118/2	ईश्वरलाल	काशीराम	तेली	पु	20	069149 09-3-06
117	117	गोटीराम	पहरसिंह	तेली	पु	39	069150 09-3-06
118	118	मोतीराम	पहरसिंह	तेली	पु	65	069152 09-3-06
119	119/1	गोपीराम	पहरसिंह	तेली	पु	84	069151 09-3-06
119	119/2	रामलाल	अब्दुलराम	तेली	पु	29	069153 09-3-06
120	120/1	काशीराम	गोपीराम	तेली	पु	40	069154 09-3-06
120	120/2	दिलचम्पु	काशीराम	तेली	पु	30	069155 09-3-06
121	121/1	सरजूलाल	काशीराम	तेली	पु	20	069156 09-3-06
121	121/2	जनपद	गोपीराम	तेली	पु	45	069157 09-3-06
123	123/1	मोतिजा	शोभादेव	तेली	पु	27	069158 09-3-06
124	124	उमाबाई	इल्तीराम	तेली	पु	36	069160 09-3-06
125	125	जलिन्दर	मनूराम	तेली	पु	40	069161 09-3-06

120	उत्तराखण्ड	पु	120	120/1	ललित	अश्विनीराम	तेली	पु	30	069163	09-3-06
127	127/1	ललित	अश्विनीराम	तेली	पु	30	069163	09-3-06			
99	127	127/2	श्यामकुमार	अश्विनीराम	तेली	पु	30	069164	09-3-06		
100	129	129	गिरधारी	निर्मलराम	तेली	पु	40	069165	09-3-06		
101	132	132	छन्नुलाल	निर्मलराम	तेली	पु	30	069166	09-3-06		
102	135	135	सेतराम	विद्याराम	तेली	पु	22	069167	09-3-06		
103	138	138/1	कन्हैयालाल	हीछाराम	कवर	पु	51	069168	09-3-06		
104	138	138/2	लालकी	चेतराम	कवर	म.	30	069169	09-3-06		
105	139	139/1	समर्थ	भुजबल	तेली	पु	57	069170	09-3-06		
106	140	140	रत्नमित्र	जोधाराम	कवर	म.	65	069171	09-3-06		
107	141	141/1	हंसतराम	भुजबल	तेली	पु	55	069172	09-3-06		
108	142	142/1	रोहितकुमार	लक्ष्मीचंद	अमात	पु	35	069173	09-3-06		
109	143	143	सोनकुवर	जुगलाल	कवर	म.	60	069174	09-3-06		
110	145	145/2	बुद्धकुवर	हरिसिंह	पनिका	म.	56	069175	09-3-06		
111	147	147/1	मुमुक्षुलाल	गतराम	पनिका	पु	30	069176	09-3-06		
112	147	147/2	धुन्नीलाल	भगनर	पनिका	पु	30	069177	09-3-06		
113	148	148/1	रामकुमार	बुद्ध	कवर	पु	30	069178	09-3-06		

	3	4	5	6	7	8	9	10
148	148/2	बुदचंद	कुजराम	कवर	पु	22	069180 09-3-06	
149	149/2	घुनारु	पुरषोत्तम	कवर	पु	27	069181 09-3-06	
150	150/1	तेजराम	बुंदुगसिंह	कवर	पु	41	069182 09-3-06	
151	151	नुरेन्द्र	तेजराम	कवर	पु	20	069183 09-3-06	
152	152	बुंदुगसिंह	मकुन्दराम	कवर	पु	64	069184 09-3-06	
153	153	नरेन्द्र	तेजराम	कवर	पु	20	069185 09-3-06	
154	154	सोमेशकुमार	तेजराम	कवर	पु	22	069186 09-3-06	
155	155	रामलाल	मंगलाम	कवर	पु	54	069187 09-3-06	
156	156	मुशोराम	सोहन	कवर	पु	60	069188 09-3-06	
157	157	रमेश कुमार	मुशोराम	कवर	पु	22	069189 09-3-06	
158	158	श्यामलाल	बोधूराम	कवर	पु	28	069190 09-3-06	
159	159	मंगलाबाई	दुवणज	कवर	पु	29	069191 09-3-06	
160	160	लालितकुमार	मुशोराम	कवर	पु	35	069192 09-3-06	
161	161	लालकुमार	मुशोराम	कवर	पु	32	069193 09-3-06	
162	162	श्याम कुमार	मुशोराम	कवर	पु	25	069194 09-3-06	
163	163	शोभित	मंगलाम	कवर	पु	45	069195 09-3-06	

	3	4	5	6	7	8	9	10
157	157/1	शोटलाल	मोहितराम	कवर	पु	27	069196	09-3-06
157	157/2	प्रभात	मोहितराम	कवर	पु	28	069197	09-3-06
158	158	कमलाबाई	पद्मराज	कवर	म	45	069198	09-3-06
160	160/1	सनिराबाई	माधुराम	कवर	म	61	069199	09-3-06
160	160/2	जगलाल	युधवारू	कवर	पु	33	069200	09-3-06
161	161/1	जैठकुंवर	देवसिंह	कवर	म	50	069201	09-3-06
161	161/2	सुखसिंह	साधुराम	कवर	पु	48	069202	09-3-06
162	162/1	चेतराम	मंगलसिंह	कवर	पु	33	069203	09-3-06
162	162/2	किरतीकुमार	साधुराम	कवर	पु	31	069204	09-3-06
163	163	ठंडाराम	शिखलाल	कवर	पु	49	069205	09-3-06
164	164/1	सहसराम	ठाकुरराम	कवर	पु	52	069206	09-3-06
164	164/2	समारी बाई	साधुराम	कवर	म	51	069207	09-3-06
165	165/1	हेमसिंह	कदूतरसिंह	कवर	म	65	069208	09-3-06
169	169/1	सुन्दर साहू	वैतान	कवर	पु	50	069209	09-3-06
169	169/1	रत्न	साधुराम	कवर	पु	50	069210	09-3-06

54242
63/10/56
OFFICER (P & P)
MEL RAICARH AREA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189/2	जगसाय	चैतन	कवर	पु	36	069212	09-3-06		
170	170	हीरासिंह	चैतन	कवर	पु	50	069214		
180	170	170	सतोष	हीरासिंह	कवर	म	28	069215	सतोषकुमार
181	171	171/1	भूषणसिंह	दिलीप सिंह	कवर	पु	36	069216	09-3-06
152	171	171/2	मोहनसिंह	दिलीपसिंह	कवर	पु	33	069217	09-3-06
153	173	173/1	दिलबन्धु	विमल सिंह	कवर	पु	22	069218	09-3-06
154		173/2	विमला सिंह	पुनीराम	कवर	पु	47	069219	09-3-06
155		173/3	सेतुराम	विमलसिंह	कवर	पु	22	069220	09-3-06
156		174/1	सुकलाल	जयशाम	कवर	पु	34	069221	09-3-06
157	174	174/1	रामकुमार	सुकलाल	कवर	पु	34	069222	09-3-06
158	174	174/2	श्यामकुमार	सुकलाल	कवर	पु	28	069223	09-3-06
159	174	174/3	छविलाल	जयशाम	कवर	पु	38	069224	09-3-06
160	174	174/4	आनंदकुमार	छविलाल	कवर	पु	18	069225	09-3-06
161	176	176/2	हेतराम	पुरजाम	कवर	पु	55	069226	09-3-06
162	178	178	राधेश्याम	सखाराम	कवर	पु	31	069227	09-3-06
163	181	181	राधेश्याम	सखाराम	कवर	पु	31	069228	09-3-06
164	183	183/2	मनोराम	राधेश्याम	कवर	पु	31	069229	09-3-06

सतोषकुमार

069216

09-3-06

विमलसिंह

विमलसिंह

सेतुराम

सुकलाल

श्यामकुमार

छविलाल

आनंदकुमार

हेतराम

राधेश्याम

मनोराम

186	188	188	छवि सिंह	धन सिंह	गजा	पु	48	0692230	कृषि
187	188	196/1	ठाकुरराम	डोय. 1	कवर	पु	19	0692231	कृषि
187	188	196/2	सालिकराम कन्हैया	ठाकुरराम सालिकराम	कवर	पु	19	0692252	कृषि
188	188	197	धनकुमार	मंगल सिंह	कवर	पु	28	0692233	कृषि
188	188	198	घासीराम	बुढ़वाराम	कवर	पु	22	0692234	कृषि
170	189	199	बुढ़वाराम	नान्हीराम	कवर	पु	15	0692235	कृषि
171	202	202/2	कीर्तन	गांडाराम	कवर	पु	24	0692236	कृषि
172	202	202/3	कालिकराम	गडिहाराम	कवर	पु	31	0692237	कृषि
173	204	204/1	फूल सिंह	थाना सिंह	कवर	पु	32	0692238	कृषि
174	204	204/2	सुख सिंह गुण लाल	थाना सिंह	कवर	पु	47	0692239	कृषि
176	205	205	थाना सिंह	गंडाराम	कवर	पु	77	0692240	कृषि
178	206	206/3	नान्हीराम	भोग सिंह	कवर	पु	40	0692241	कृषि
179	206	206/4	मोहन लाल	भोग सिंह	कवर	पु	18	0692242	कृषि
170	208	208	दशराम	जगदाम	कवर	पु	57	0692243	कृषि
173	208	208/2	हमसागर	जगदाम	कवर	पु	18	0692244	कृषि
180	209	209	धनशंकर	जगदाम	कवर	पु	30	0692245	कृषि
181	210	210	कमल राम	जगदाम	कवर	पु	30	0692246	कृषि

183	210	210	बधुराम	गोरखलाल	कवर	पु	18	069247 09-3-06	(205)
184	211	211	श्यामकुमार	चमारसिंह	कवर	पु	25	069248 09-3-06	
185	212	212	कार्तिकराम	इ. त. लाल	कवर	पु	39	069249 09-3-06	कार्तिकराम
186	215	215/1	कुटेलीबाई	चमारसिंह	कवर	म.	87	069250 09-3-06	
188	215	215/2	छत्तरसिंह	चमारसिंह	कवर	पु	40	069251 09-3-06	
187	216	216	संतुराम	बालकृष्ण	कवर	पु	10	069252 09-3-06	
188	219	219	मोहित	परसूराम	कवट	पु	56	069253 09-3-06	मोहित
189	221	221	गोविन्द	गोहित	कवट	पु	35	069254 09-3-06	
190	224	224	गोशिल्या	गोहरा	कवट	म.	40	069255 09-3-06	
191	227	227/1	जीवनसिंह	जीवनसिंह	कवट	पु	26	069256 09-3-06	
192	230	230	कुन्डासिंह	साराधन	कवट	पु	24	069257 09-3-06	
193	232	232	अमृतसिंह	पधूराम	कवर	पु	27	069258 09-3-06	अमृतसिंह
194	233	233	फुलोबाई	शिवलाल	कवट	म.	56	069259 09-3-06	
195	234	234	जीवनसिंह	जीवनसिंह	कवट	पु	26	069260 09-3-06	
196	235	235	अरनारा	अरनारा	कवट	पु	27	069261 09-3-06	
197	236	236/1	पट्टासिंह	पट्टासिंह	कवट	पु	27	069262 09-3-06	
198	238	238	राधासाध	राधासाध	कवट	पु	27	069263 09-3-06	

2	3	4	5	6	7	8	9
240	240	तारासिंह	रातुराम	गोबर	पु	30	069264 09-3-06
241	241	परदेशी	नेगीराम	गोबर	पु	30	069265 09-3-06
242	242/2	रागप्रसाद	सुगदा	द्वि	पु	37	069266 09-3-06
246	249	सखाराम	भगहराम	तिली	पु	50	069267 09-3-06
250	250	दुष्यंतकुमार	उसतराम	तिली	पु	20	069268 09-3-06
252	253	पंचराम	गोपीराम	तिली	पु	50	069269 09-3-06
253	253	शिवकुमार	पन्नाराम	तिली	पु	32	069270 09-3-06
255	255	शिवकुमार	भागारिथी	तिली	पु	10	069271 09-3-06
256	256	बल्लाराम	मुनुराम	तिली	पु	57	069272 09-3-06
258	258	उर्मिला	घासीदास	निक	पु	36	069273 09-3-06
259	259/1	रामकुमार	धायराम	तिली	पु	33	069274 09-3-06
259	259/1	श्यामबाई	वनमाली	तिली	पु	32	069275 09-3-06
259	259/1	मुनीलकुमार	रामकुमार	तिली	पु	25	069276 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069277 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069278 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069279 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069280 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069281 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069282 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069283 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069284 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069285 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069286 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069287 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069288 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069289 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069290 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069291 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069292 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069293 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069294 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069295 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069296 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069297 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069298 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069299 09-3-06
259	259/1	मुनील कुमार	रामकुमार	तिली	पु	23	069300 09-3-06

263	263	मंगलसिंह	रत्नसिंह	कवर	पु	20	06/02/51 09-3-06	
265	265	मीतराम	सीहराम	तेली	पु	20	06/02/51 09-3-06	सीहराम
220	266	पुनीराम	भागीरथी	तेली	पु	43	06/02/51 09-3-06	
221	267	पुनीराम	फिरतराम	तेली	पु	42	06/02/51 09-3-06	
222	268	विश्राम	मनयोग	अधरिय	पु	35	06/02/51 09-3-06	
223	269	गनाराम	"रिता"	कवर	पु	50	06/02/51 09-3-06	काजल
224	273	मनयोग	सुखराम	कवर	पु	70-32	06/02/51 09-3-06	सुखराम
225	274	पनिकराम	सुखराम	कवर	पु	50	06/02/51 09-3-06	पनिकराम
226	275	सुन्दरसाय	मनयोग	कवर	पु	50	06/02/51 09-3-06	सुन्दरसाय
227	276	नारायणसिंह	रत्नसिंह	कवर	पु	40	06/02/51 09-3-06	नारायणसिंह
228	277	भासीराम	सदाशिव	कवर	पु	30	06/02/51 09-3-06	भासीराम
229	278	देवसिंह	सुखराम	कवर	पु	60	06/02/51 09-3-06	देवसिंह
230	279	कनर	रत्नसिंह	कवर	पु	21	06/02/51 09-3-06	कनर
231	280	सत्येश कुमार	रत्नसिंह	कवर	पु	25	06/02/51 09-3-06	सत्येश कुमार
232	281	खदकराम	चिंसाद	कवर	पु	70	06/02/51 09-3-06	खदकराम
233	282	मनयोग	रत्नसिंह	कवर	पु	28	06/02/51 09-3-06	मनयोग
234	284	गदगल	भासीराम	कवर	पु	20	06/02/51 09-3-06	गदगल
235	285	सुखराम	रत्नसिंह	कवर	पु	20	06/02/51 09-3-06	सुखराम

5/2/57
STAFF OFFICER (P.S.)
SECL. RAIGARH AREA